न्यायालय—: अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश—II रोहतास, सासाराम,
सासाराम(दरिगांव) थाना कांड संख्या— 760/2008

सी0आई0एस0 नम्बरः— 17/2008

Judgement Date 03-07-2026

FORMA

न्यायालय— अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश—II रोहतास, सासाराम उपस्थित—श्री अमित कुमार शुक्ला, अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश—II निर्णय की तिथि—: 03.07.2026 सासाराम दरिगांव थाना कांड सं0 760/2008 दिनांक 11.12.2008 अंतर्गत धारा 272,273 एवं 47ए बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम 2018

सूचक	रामचंद राम
अभियोजन की ओर से	श्री रमेश कुमार रमण
अभियुक्त का नाम	1. दीपक कुमार
अभियुक्त/बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता	संजय कुमार शर्मा

FORMB

घटना की तिथि	11.12.2008
औपचारिक प्राथमिकी की तिथि	11.12.2008
आरोप पत्र की तिथि	28.01.2009

न्यायालय—: अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश—II रोहतास, सासाराम,
सासाराम(दरिगांव) थाना कांड संख्या— 760/2008

सी0आई0एस0 नम्बरः— 17/2008

Judgement Date 03-07-2026

आरोप गठन की तिथि	26.02.2009
साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि	09.03.2009
निर्णय सुरक्षित रखने की तिथि	03.07.2026
निर्णय की तिथि	03.07.2026
दंडादेश की तिथि, यदि हो	----

अभियुक्त का विवरणः—

क्रम सं0	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तार की तिथि	जमानत पर रिहा करने की तिथि	आरोप अंतर्गत धारा	दोषमुक्त / दोषसिद्ध	
1.	दीपक कुमार	11.12.08	17.04.09	धारा 272,273 एवं 47ए उत्पाद अधि0	दोषमुक्त	....

<u>FORMC</u>

अभियोजन पक्ष/बचाव/पक्ष/न्यायालय के साक्षियों की सूची

A—अभियोजन

न्यायालय–ः अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश–II रोहतास, सासाराम,
सासाराम(दरिगांव) थाना कांड संख्या– 760/2008

सी0आई0एस0 नम्बरः– 17/2008

Judgement Date 03-07-2026

क्रम संख्या	नाम	साक्षियों की प्रवृति चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, गवाह विशेषज्ञ, चिकित्सा गवाह, पंच, गवाह, अन्य गवाह
साक्षी संख्या		

B- बचाव साक्षी यदि कोई हो तोः–

क्रम संख्या	नाम	साक्षियों की प्रवृति चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, गवाह विशेषज्ञ, चिकित्सा गवाह, पंच, गवाह, अन्य गवाह
1.	....	....

C-न्यायालय का साक्षी यदि कोई हो तोः–

क्रम संख्या	नाम	साक्षियों की प्रवृति चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, गवाह विशेषज्ञ, चिकित्सा गवाह, पंच, गवाह, अन्य गवाह
1.	....	....

<u>अभियोजक/बचाव पक्ष/न्यायालय प्रदर्श की सूची</u>

A. अभियोजन

क्रम सं0	प्रदर्श संख्या	विवरणी
1.		

न्यायालय–ः अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश–II रोहतास, सासाराम,
सासाराम(दरिगांव) थाना कांड संख्या– 760/2008

सी0आई0एस0 नम्बरः– 17/2008

Judgement Date 03-07-2026

1. उपरोक्त नामित अभियुक्त **1. दीपक कुमार** के विरूद्ध अंतर्गत धारा 272,273 भादवि एवं 47ए, बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम 2018 के अंतर्गत आरोप का गठन किया गया है।

2. अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि इस वाद के सूचक रामचंद राम ने अपना लिखित आवेदन है, जिसमें साक्षी का कहना है कि दिनांक 11.12.2008 को अपने सशस्त्र बल के साथ वारंटियों एवं फरारियों के विरूद्ध छापामारी हेतु प्रस्थान किया था। कादिरगंडा से छापामारी कर ताराचंडी धाम के तरफ गस्ती करने जा रहे थे कि करीब समय 5.30 बजे ग्राम कोटा धनकी जामुन चौराहा के पास पहुंचा, कि ताराचंडी धाम के तरफ से एक व्यक्ति साईकिल के पीछे एक काला रंग का बड़ा बैग रखे हुए एक साईकिल के आगे दो झोला उजला रंग का टांगे हुए आ रहा था कि पुलिस जीप को देखते ही रोड के किनारे साईकिल गिरा कर भागने लगा। संदेह होने पर उक्त बल के साथ खदेड़ कर पकड़ा एवं नाम पता पूछा तो अपना नाम दीपक कुमार बताया, तथा साईकिल पर रखे बैग एक झोला में देशी शराब का पाउच रखने की बात बताया। उक्त व्यक्ति को पकड़ कर साईकिल के पास लाया एवं दो स्वतंत्र गवाह गणेश महतो एवं सत्यनारायण सिंह के समक्ष दोनों झोला एवं बैग का तलाशी लिया तो तलाशी के क्रम में काला रंग के बड़ा बैग के अंदर रखा 150 पाउच प्रत्येक 200 एमएल का देशी शराब, एक उजला रंग के प्लास्टिक के झोला के अंदर रखा 50 पाउच 200 एमएल का एवं दूसरा उजला रंग के प्लास्टिक के झोला में भी 50 पाउच 200 एमएल का कुल 250 पाउच देशी शराब वजन करीब 50 लीटर अवैध देशी शराब बरामद किया गया। उक्त बरामद

सभी पाउच देशी शराब को दोनों गवाहों के समक्ष जप्ती सूची बनाया। जप्ती सूची पर दोनों गवाहों एवं पकड़ाये व्यक्ति ने स्वेच्छा से अपना–अपना हस्ताक्षर बना दिये। पकड़ाये व्यक्ति से अवैध शराब के संबंध में पूछताछ करने पर बताया कि धौडाढ से सासाराम देने के लिए जा रहे थे, परंतु किस व्यक्ति के पास से लाये और सासाराम में किस व्यक्ति को देने जा रहे हैं, संबंध में पूछताछ के बाद भी किसी का नाम नहीं बताया। देशी शराब के संबंध में कागजात मांगने पर कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किये। चूंकि अवैध शराब रखना एवं बेचना एक संज्ञेय अपराध है।

3. सूचक के लिखित आवेदन के आधार पर सासाराम सासाराम थाना कांड सं0 760/2008 दिनांक 11.12.2008 अंतर्गत धारा 272,273 एवं 47ए, बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम 2018 के अंतर्गत अभियुक्त के विरूद्ध दर्ज किया गया है। अनुसंधानोपरांत इस वाद में आरोप पत्र सं0 03/2009 दिनांक 28.01.2009 अंतर्गत धारा 272,273 भादवि एवं 47ए, बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत घ टना को सत्य पाकर आरोप पत्र समर्पित किया गया। तत्पश्चात इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 05.02.2009 को उपरोक्त अभियुक्त के विरूद्ध संज्ञान लिया गया।

4. प्रस्तुत वाद में दिनांक 26.02.2009 को आरोप का गठन अंतर्गत धारा 272,273 भादवि एवं 47ए, बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत किया गया तथा आरोप का सारांश अभियुक्त को हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इनकार किया तथा विचारण का दावा किया। माननीय जिला

एवं सत्र न्यायाधीश के आदेशानुसार प्रस्तुत वाद विचारण हेतु दिनांक 14.02.2022 को इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

5. अभियोजन की ओर से अपने वाद के समर्थन में एक भी साक्षियों को प्रस्तुत नहीं किया गया है

6. दिनांक 02.07.2026 को अभियुक्त का बयान अंतर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत दर्ज किया गया। जिसमें उन्होंने अपने आप को निर्दोष बताया तथा उनका कहना है कि वे सफाई साक्ष्य नहीं देना चाहते हैं। तत्पश्चात् दिनांक 02.07.2026 को सफाई साक्ष्य बंद किया गया।

7. उभय पक्षों का पूर्ण बहस सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। इस वाद में मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः सफल रहा है?

विनिश्चय–:

7. प्रस्तुत वाद में अभियुक्त **1. दीपक कुमार** के विरूद्ध अंतर्गत धारा 272,273 एवं 47ए बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम 2018 के अंतर्गत आरोप गठन किया गया है। अभिलखे अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभियुक्त के विरूद्ध आरोप का गठन दिनांक 26.02.2009 को किया गया है। तत्पश्चात् आरोप पत्र में वर्णित सभी साक्षियों की उपस्थिति हेतु सारी औपचारिकताएं पूरी की गई लेकिन अभियोजन की ओर से एक भी गवाह प्रस्तुत नहीं किया गया अंततः न्यायालय का आदेश दिनांक

न्यायालय–: अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश–II रोहतास, सासाराम,
सासाराम(दरिगांव) थाना कांड संख्या– 760/2008

सी0आई0एस0 नम्बरः– 17/2008

Judgement Date 03-07-2026

20.02.2026 के आदेशानुसार अभियोजन साक्ष्य बंद किया गया। अभिलेख पर अन्य कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में न्यायालय का मत है कि अभियोजन अभियुक्त के उपर आरोपित अपराध को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

<u>आदेश</u>

अतः अभियोजन उपरोक्त नामांकित अभियुक्त **1. दीपक कुमार** पर आरोप अंतर्गत 272,273 एवं धारा 47ए बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहने के कारण उपरोक्त अभियुक्त **1. दीपक कुमार** को **दोषमुक्त** किया जाता है। अभियुक्त के जमानतदारों को उनके बंधपत्र के दायित्व से मुक्त किया जाता है। कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें। निर्णय **कुल सात पृष्ठों** में टंकित है।

(लेखापित, शुद्धित व खुले न्यायालय में उद्घोषित)

अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश–II
सासाराम रोहतास
दिनांक 03.07.2026

(लेखापित)

अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश–II
सासाराम रोहतास
दिनांक 03.07.2026